जमानत प्रार्थना पत्र सं०–९१४/२०२२

आदेश

दिनांक–१७–१०–२०२२

प्रार्थी/अभियुक्त लईक उर्फ लईक अहमद पुत्र शफीक की ओर से वाद सं०–४८९/२०२०, मु०अ०सं०–५३७/२०१९, राज्य बनाम सुल्तान उर्फ सबुआ आदि, धारा–४५२, ३२३, ३२४, ५०४, ५०६ भा०दं०सं०, थाना–सहसवान, जनपद बदायूँ के अपराध में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर अपनी बहस में कहा गया है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त वाद में कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है जो उपरोक्त मुकदमें में गवाह हैं वह मु०अ०सं०–५३५ सन २०१९ में नामजद अभियुक्त हैं, जिससे बचने के उददेश्य से प्रार्थीगण पर यह झूठा मुकदमा दायर किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त की जमानत पर विरोध किया गया है। उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अतः बिना किसी गुण–दोष पर टिप्पणी किये हुये अभियुक्त को जेल भेजना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त लईक उर्फ लईक अहमद पुत्र शफीक का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त्त द्वारा अंकन रूपये २५,०००/–का व्यक्तिगतबन्ध पत्र एवं समान राशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीन कुमार गौतम)
J.O.CODE. UP3284
न्यायिक मजि०
सहसवान, जनपद बदायूँ।